

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 1997 (त्रावण 3, 1919)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्का: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, गोपीकृष्ण नेमा, सुरेन्द्र सिंह सिसोविया, सदस्य, प्रदेश के कई क्षेत्रों में खाद का अभाव एवं अमानक रासायनिक खाद मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) सर्वश्री महेश बघेल, राजाराम तोड़ेम, चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, सदस्य, बस्तर जिले के कौडागांव एवं सुकमा वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, इंचौर के मल्हारगंज घाना कर्मियों द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सिरोजा कुध संघ में वित्तीय अनियमितता की वजह से कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) सर्वश्री विक्रम वर्मा, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, धार जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) सर्वश्री कंकर मुंजारे, दिलीप भटेरे, डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के बकरामुण्डी बांस डिपो में अग्निकाण्ड होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले की कैमोर सीमेंट फैक्ट्री के प्रबन्धन द्वारा श्रमिकों की छटनी किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (8) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, गोपीकृष्ण नेमा, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, बस्तर जिले के नारायणपुर में एक पत्रकार की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (9) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, बृजमोहन अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सावरियापानी में ऋण वसूली हेतु दी गई यातना से एक युवक की मौत होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (10) डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में जिला पंचायत द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिये फर्नीचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी वन परिक्षेत्र से जड़ी बूटियों का अवैध बोहन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, इन्दौर जिले के ग्राम पालिया एवं रेल्वे स्टेशन पालिया के बीच नदी पर बने पुल को ऊँचा किये जाने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम पन्तोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री सुक्रीति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) हरहाई जलाशय एवं नहर का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) पनिहाई एवं पितर तालाब से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(4) श्री रामलखन सिंह (त्योघर), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम सोनीरी से ककरहा तक गिट्टीकृत सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम चौया या ककरहा में हाईस्कूल खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम सोनीरी के अनुसूचित जाति मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. अशासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री कैलाश विजयबर्गीय, सदस्य, मध्यप्रदेश धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1997 (क्रमांक 24 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित
समय
30 मि.

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि जबलपुर जिले में भूकम्प की स्थिति और जिला प्रशासन की वहाँ व्यस्तता के कारण तहसील सिहोरा, कटनी एवं विजयराघवगढ़ में प्रशासनिक अव्यवस्था एवं राजस्व क्षति को देखते हुए कटनी नगर को मुख्यालय मानकर तीनों तहसीलों को मिलाकर जिला घोषित किया जाये".

40 मि.

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी पुराने निस्तारी तालाब एवं तलहट्टों का एक वर्ष की निश्चित अवधि में जीर्णोद्धार किया जाये".

30 मि.

(3) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

"सदन का यह मत है कि सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु राज्य शासन आवश्यक पहल करे".

45 मि.

(4) श्री सुनील जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत होने वाले समस्त निर्माण कार्य विधायकों एवं क्षेत्रीय सांसदों की अनुशासा पर ही स्वीकृत किये जावे".

भोपाल :
दिनांक 24 जुलाई, 1997

के.पी. सिक्कारे
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा